शिक्षा व्यवस्था के प्रबंध का विकेन्द्रीकरण

2938. **श्री रामजेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1992 में शिक्षा नीति की समीक्षा के पश्चात् देश में शिक्षा व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण के संबंध में एक समिति का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का गठन कब किया गया और इसके सदस्य कौन-कौन थे ;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) से (घ) जी, हां। शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति का गठन 2 फरवरी, 1993 को श्री वीरप्पा मोइली, कर्नाटक के तत्कालिक मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। समिति का गठन विवरण–I में दिया गया है। **(नीचे देखिए)** केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट समिति ने 18 सितम्बर, 1993 को प्रस्तुत की। मुख्य सिफारिशों का सार विवरण–II में दिया गया है **(नीचे देखिए)**।

(ङ) और (च) समिति की रिपोर्ट पर के. शि. स. बो. ने 15 अक्तूबर, 1993 को आयोजित अपनी बैठक में तथा तदन्तर मुख्य मंत्रियों ने 15 फरवरी, 1994 को नई दिल्ली में आयोजित अपने सम्मेलन में विचार-विमर्श किया तथा रिपोर्ट का समर्थन किया और राज्यों व संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनकी विशिष्ट परिस्थिति तथा इसके साथ-साथ 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधनों के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए इसके उपयुक्त अनुकूलन व प्रभावशाली कार्यान्वयन की सिफारिश की है।

विवरण—I

शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबन्ध पर गठित केंद्र समिति सदस्य एवं अस्थायी आमन्त्रित व्यक्ति

सदस्य :

1. श्री एम. वीरप्पा मोइली **अध्यक्ष**
   मुख्य मंत्री,
   कर्नाटक
2. डा. (श्रीमती) चित्रा नायक,
   सदस्य (शिक्षा),
   योजना आयोग,
   नई दिल्ली ।
3. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर,
   शिक्षा मंत्री,
   केरल ।
4. प्रो. के. पन्नुसामी,
   शिक्षा मंत्री,
   तमिलनाडु ।
5. श्री एस. एस. चक्रवर्ती,
   शिक्षा मंत्री,
   पश्चिम बंगाल ।
6. श्री प्रफुल्ल चन्द्र बड़ेई,
   शिक्षा मंत्री,
   उड़ीसा ।
7. श्री जी.सी. राजबंशी,
   शिक्षा मंत्री,
   असम ।
8. श्री नरहरि अमीन,
   शिक्षा मंत्री,
   गुजरात ।

9. डा० सुधीर राय, सांसद
(सदस्य केब) ।

10. डा० सैयद सहन,
निदेशक, इंसान स्कूल/कालेज,
किशनगंज, पूर्णिया (बिहार),
(सदस्य केब) ।

11. प्रो० मृणाल मीरि,
दर्शन शास्त्र विभाग,
नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग,
(सदस्य केब)

12. प्रो० पी०के० उमाशंकर,
पूर्व निदेशक, आई०आई०पी०ए०,
नई दिल्ली
(अध्यक्ष, शिक्षा, प्रबंध पर कार्यदल)

13. श्री एस०आर० शंकरन,
पूर्व सचिव,
ग्राम विकास विभाग ।

14. श्री वी०बी०एल० माथुर,
सलाहकार, राजस्थान सरकार
जयपुर ।

15. श्री आर०डी० सोनकर,
सलाहकार, उत्तर प्रदेश सरकार
(लखनऊ)

16. सचिव,
विधि कार्य विभाग,
विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

17. सचिव,
ग्राम विकास विभाग,
नई दिल्ली ।

18. सचिव,
शहरी विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

19. सचिव,
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

20. डा०आर०वी० वैद्यनाथ अय्यर,
संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली ।

21. सदस्य-सचिव

स्थाई आमंत्रित व्यक्ति

1. डा० पी०वी० रंगा राव,
शिक्षा मंत्री,
आंध्र प्रदेश ।

2. सचिव,
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली ।

3. अपर सचिव,
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली ।

4. सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग,
नई दिल्ली ।

5. निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
नई दिल्ली ।

6. संयुक्त निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली ।

7. डा० एस०सी० नूना,
फैलो,
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली ।

*डा० सी० अरंगानयगम के स्थान पर दिनांक 30 जुलाई, 1993 से प्रभावी ।

**श्री चैतन्य प्रसाद माझी के स्थान पर 17 अगस्त, 1993 से प्रभावी ।

*** डा० कर्षनदास सोनेरी के स्थान पर दिनांक 23 अप्रैल, 1993 से प्रभावी ।

**** डा० भूमि धर बर्मन के स्थान पर 30 जुलाई, 1993 से प्रभावी ।

विवरण – II

शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर गठित केंद्र समिति की मुख्य सिफारिशें :

1. पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के स्तरों पर अलग से शिक्षा समितियां गठित की जाएं ।

2. पंचायत स्थाई समिति अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभिक शिशु देख-रेख और शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेगी । यह पंचायत समिति से प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत संयुक्त प्राथमिक स्कूलों का भी पर्यवेक्षण करेगी ।

3. पंचायत समिति की शिक्षा संबंध स्थाई समिति जिला परिषद के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा प्रारंभिक शिशु देख-रेख और शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक के पंचायती राज निकायों के स्कूलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी ।

4. जिला परिषद की शिक्षा संबंधी स्थाई समिति के अधिकारों में शामिल होगा–सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन स्टाफ की भर्ती और नियुक्ति करना तथा वेतन के भुगतान करने के साथ माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों की स्थापना करना तथा उनका रखरखाव करना । माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यमान स्कूलों को जिला परिषद के नियंत्रणाधीन किया जाएगा । भविष्य में राज्य क्षेत्र में सभी माध्यमिक स्कूल केवल जिला परिषद द्वारा स्थापित किए जाएंगे । समिति सरकार के नियमों के अधीन सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए अनुदानों की भी व्यवस्था करेगी । यह माध्यमिक स्तर तक के प्राइवेट स्कूल सहित सभी स्कूलों का शैक्षिक पर्यवेक्षण भी करेगी ।

5. नगरपालिका क्षेत्रों के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को उनके स्टाफ समेत अलग-अलग नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है । स्टाफ की भर्ती को छोड़कर वे स्टाफ पर नियंत्रण रखेंगे । स्टाफ की भर्ती राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामोदिष्ट संगठन करेगा ।

6. इन निकायों को जो संस्थाएं हस्तांतरित की गई हैं उनके प्रबंधन के लिए राज्य सरकार इन्हें पर्याप्त अनुदान के साथ-साथ विकास अनुदान भी उपलब्ध कर सकती है ।

7. राज्य सरकार या राज्य स्तरीय एक उपयुक्त निकाय समग्र रूप में पर्यवेक्षण करेगा तथा शेष बचे अधिकार इसके पास रहेंगे ।

समान स्कूल प्रणाली संबंधी राम मूर्ति समिति

2939. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:
श्री कृष्णलाल शर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समान स्कूल प्रणाली चालू करना आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आचार्य राम मूर्ति समिति ने भी सिफारिश की थी कि केन्द्र देश में समान स्कूल प्रणाली लागू की जाये और इससे पूर्व वर्ष 1964–66 में डा० कोठारी आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में वर्तमान स्कूल प्रणाली में भारी अन्तर है और इस प्रकार सभी नागरिक समान स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार देश में चल रहे पब्लिक स्कूलों के लिए कोई नयी व्यवस्था कायम करेगी जिससे